

न्यायालय सिविल जज(अ०व०), एफ.टी.सी./14 वां वित्त आयोग, मैनपुरी।

आपराधिक वाद रजि० सं०- 6912/2026

धारा- 292 बी०एन०एस०एस०

थाना-एलाऊ, जिला-मैनपुरी।

(लोक अदालत)

दिनांक-09.05.2026

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त श्यामसुंदर पुत्र पन्नालाल के द्वारा धारा 292 बी०एन०एस०एस० के प्रकरण में स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की गई। अभियुक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्ध किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को मु०- 10 -(दस) रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। तदानुसार वाद निस्तारित किया जाता है।

(आजम रहमानी)

सिविल जज(अ०व०), एफ.टी.सी.

/14 वां वित्त आयोग, मैनपुरी।